न्यायालय–अपर जिला न्यायाधीश, सारण, छपरा।

दावा वाद सं–108/11.

अभिलेख निबन्धन सं–532/14.

आदेश

18.01.16 आवेदिका की ओर से उसके करिन्दा की हाजरी हैं। वाद का पुकार किया गया। पुकार पर कोई भी उपस्थित नहीं हुए। अभिलेख परिशीलन से स्पष्ट है कि आवेदिका को दिनांक 06.09.12 को विपक्षी पर नोटिस जारी करने हेतु आपेक्षिताऐं दाखिल करने का आदेश दिया गया था परन्तु, आर्वेदिका द्वारा उक्त आदेश का अनुपालन आज तक नहीं किया गया। दिनांक 16.11.14 को भी आवेदिका को विपक्षी पर नोटिस जारी करने हेतु आपेक्षिताऐं दाखिल करने का आदेश दिया गया था परन्तु, द्वारा उक्त आदेश का पालन नहीं किया गया तथा आज भी आवेदिका की ओर से उक्त आदेश का पालन नहीं किया गया और न ही उसके तरफ से पैरवी हेतु पुकार पर कोई उपस्थित हुए। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदिका की रूचि इस वाद में नहीं है। अतः वाद को अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। कार्यालय नियमानुसार अभिलेख अभिलेखगृह में जमा करें।

लेखापित

अपर जिला न्यायाधीश, अष्टम्,
सारण, छपरा।